

सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 96/सो.आ.नि.-318/14

दिनांक: 29 मई, 2014

प्रेषक,

निदेशक,

सोशल आडिट,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

विषय: सोशल आडिट हेतु प्रपत्र सो.आ.-। पर ग्राम पंचायत द्वारा, प्रपत्र सो.आ.-।। पर कार्यदाई संस्थाओं द्वारा तथा प्रपत्र सो.आ.-।।(A) पर सहायक कार्यक्रम अधिकारी (APO) द्वारा मनरेगा के अर्न्तगत कराए गए/कराए जा रहे कार्यों का विवरण तथा प्रपत्र सो.आ.-इ पर इन्दिरा आवास योजना का विवरण प्राप्त किया जाना।


महोदय,

आप अवगत हैं कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा एवं इन्दिरा आवास योजना से गत वर्ष 2013-14 में कराए गए कार्यों के सोशल आडिट के लिए सोशल आडिट टीमों का गठन किया जा चुका है और उनका प्रशिक्षण भी प्रारम्भ हो चुका है। टीमों के प्रशिक्षण के उपरान्त विभिन्न ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट प्रारम्भ हो जाएगा। सोशल आडिट सम्पन्न करने के लिए प्रारम्भिक रूप से संलग्न प्रपत्र सो.आ.-।, सो.आ.-।। तथा सो.आ.-।।(A) पर क्रमशः ग्राम पंचायतों, कार्यदाई संस्थाओं एवं सहायक कार्यक्रम अधिकारी से तथा सो.आ.-इ पर विकास खण्ड कार्यालय से सूचना प्राप्त कर उसका संकलन जिला विकास अधिकारी कार्यालय में शीघ्रतिशीघ्र किया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त प्रपत्र सो.आ.-।, सो.आ.-।।, सो.आ.-।।(A) तथा सो.आ.-इ पर प्रदत्त सूचना का उपयोग सोशल आडिट टीमों द्वारा सोशल आडिट के लिए किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि कृपया अपने जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा तथा इन्दिरा आवास योजना के अर्न्तगत हुए कार्यों के सम्बन्ध में प्रपत्र सो.आ.-।, सो.आ.-।।, सो.आ.-।।(A) तथा सो.आ.-इ पर सूचना संकलित कर जिला विकास अधिकारी कार्यालय में दिनांक 15 जून, 2014 अथवा उससे पूर्व उपलब्ध कराने हेतु खण्ड विकास अधिकारियों को यथोचित निर्देश देने का कष्ट करें। खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा अपने विकास खण्ड के सभी ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में सूचना प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए जिला विकास अधिकारी को उपलब्ध कराना वांछित होगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(शंकर सिंह)

निदेशक।

प्रपत्र – सो.आ.-II

वर्ष 2013-14 में कार्यदाई संस्था द्वारा कराए गए/कराए जा रहे कार्यों का विवरण

ग्राम पंचायत

विकासखण्ड.....

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलन की धनराशि (रु०)	वास्तविक व्यय (रु०)	व्यय में श्रमांश (रु०)	सृजित मानव दिवस	व्यय में सामग्री अंश (रु०)	कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	कार्य की स्थिति (पूर्ण/चालू कार्य)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में कार्यदाई संस्था/संस्थाओं द्वारा मनरेगा के अर्न्तगत उपर्युक्त परियोजनाओं में ही कार्य हुआ है। उक्त विवरण में कोई भी परियोजना/कार्य छूटा नहीं है।

दिनांक:

प्रतिहस्ताक्षरित

सहायक कार्यक्रम अधिकारी

जनपद

हस्ताक्षर

कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी

(कार्यदाई संस्था)

यदि उक्त अवधि में किसी भी कार्यदाई संस्था द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया है तो जनपद स्तर पर तैनात सहायक कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निम्न प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

प्रपत्र – सो.आ.-II (A)

प्रमाणित किया जाता है कि विकास खण्ड की निम्न ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2013-14 में मनरेगा के अर्न्तगत किसी भी कार्यदाई संस्था द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया है।

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

दिनांक :

हस्ताक्षर
(नाम)
सहायक कार्यक्रम अधिकारी
जनपद-

प्रपत्र – सो.आ.–इ

ग्राम पंचायत का नाम :-

क्र०	बिन्दु	सूचना
1.	ग्राम पंचायत में कुल परिवारों की संख्या	
2.	कुल परिवारों में से बी०पी०एल० परिवारों की संख्या	
2.1	बी०पी०एल० सूची से बनी स्थाई पात्रता सूची में शामिल परिवारों की संख्या	
2.2	स्थायी पात्रता सूची में अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों की संख्या	
2.3	स्थायी पात्रता सूची में सामान्य परिवारों की संख्या	
2.4	अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों की सूची, जो स्थाई पात्रता सूची में नहीं है, किन्तु बी.पी.एल. सूची में है	सूची संलग्न है
3.	स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल परिवारों सूची	सूची संलग्न है
4.	गत वित्तीय वर्ष के चयनित लाभार्थियों की सूची	सूची संलग्न है
5.	गत वित्तीय वर्ष में कितने आवासों हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है?	
5.1	गत वित्तीय वर्ष में जिन आवासों हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है, उनमें से पूर्ण आवासों की संख्या	
5.2	गत वित्तीय वर्ष के अपूर्ण आवासों की संख्या	
5.3	आवास अपूर्ण होने का कारण	
6.	लाभार्थीवार अवमुक्त की गई धनराशि का विवरण	संलग्न है
7.	प्रत्येक लाभार्थी को आवंटित धनराशि की पुष्टि हेतु बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति	संलग्न है
8.	ऐसे लाभार्थी परिवारों की संख्या जिन्हें अब तक धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई?	

हस्ताक्षर

खण्ड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकी)